To,
The Registrar
The National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi
E-mail: judicial-ngt@gov.in

Date: 27.05.2024

SUBJECT: REPORT ON BEHALF OF THE ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE I, GAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH IN O.A. 771 OF 2022 NISHANT BHARGAVA VS STATE OF UP & ORS.

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject the report is filed by the Assistant Commissioner of Police I, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh in O.A. No. 771 of 2022 Nishant Bhargava vs State of UP & Ors. The Assistant Commissioner of Police I, report is hereby submitted for your kind Perusal and necessary action please.

Enclosure: Report

Yours Sincerely

Praveen
27/5/24

Praveen Kumar Singh (प्रवीण कुमार सिंह)
Assistant Commissioner of Police सहायक पुलिस आयुक्त प्रथम
Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh

REPORT FILED BY THE ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE I, NOIDA,DISTRICT - GAUTAM BUDDHA NAGAR

1. That the OA 771/2022 titled as NISHANT BHARGAVA VS STATE OF UTTAR PRADESH is pending before this Hon'ble National Green Tribunal, Principle Bench, New Delhi. This OA has been registered U/S 14 &15 of NGT Act ,2010 pursuant to a letter petition dated 10.06.2022 received from Nishant Bhargava, General Secretary, Kensington Park-1, Phase-1, Sector-133, District Gautam Budh Nagar, Noida, U.P. The complaint is that project was developed by M/s. Jaypee Infratech Limited but there are several violations of environmental norms and laws causing damage to environment inasmuch as sewer is overflowing from manholes and falling into rain water drains in many blocks of Kensington Park-1 area; sewer pipeline laying work in L Block and road construction in G Block is going on causing major air pollution; construction activity going on at the entrance of the project without taking precautionary measures, causing air pollution; and sewer lines and drainage overflow and STP is non-functional.

2. That by the order dated 4.01.2023 The Hon'ble NGT constituted a joint committee comprising state PCB and District Magistrate Gautam Buddha Nagar for visit the site, collect relevant information and submit a factual and action taken if any report within one month. the report needs to clarify and bring out factual compliance status with respect to water act 1974, and air act 1981as well as environmental condition, if specified in EC.

3. That in pursuance to above order dated 4.01.2023 the joint committee submitted a report dated 10.02.2023 for finding violation/lapses and gave observation during inspection...

   The relevant portion is reproduced herein :

   PARA 2 : During inspection, project was found under construction regards to residential tower. Civil and structural work of multistoried residential towers is completed and plaster and finish work is going on. It was observed that project proponent has not maintained arrangements to control dust on the construction site as per rules. At site proper water

sprinkling, net covering, physical barricading of the area and other dust mitigation measures were not taken in to account.

PARA 3: It was informed by the complainant and project residents present during the inspection that due to lack of proper disposal of domestic effluent generated from their houses, the generated effluent overflows through the manholes, causing inconvenience. During inspection, manholes of the Project were observed but overflow was not there at the time of inspection but to mention that as there is no suitable network for disposal of generated sewerage it may cause overflow from the manholes.

It is clear from the above facts that the project developer/IRP has not addressed the issue of public nuisance. Section-133 of Criminal Procedure Code (CrPC) authorizes the District Magistrate to exercise the power of the said section and direct the project developer/IRP accordingly. District, Gautam Buddha Nagar has been declared Police Commissionerate in January-2020 and power District Magistrate Under Criminal Procedure Code (CrPC) has been transferred to Police Commissioner in Gautam Buddha Nagar. Therefore the Police commissioner be requested to direct Deputy Commissioner of Police, Noida to register case under section-133 of Criminal Procedure Code (CrPC) and issue legal mandate to the project developer/appointed IRP to ensure public nuisance is removed and norms are adhered with.

4. That in compliance of letter no.1370/L-163/2023 written by the District Magistrate Gautam Buddha Nagar addressed to the Commissioner of Police district Gautam Buddha Nagar, the concerned Sub Inspector /chowki In-charge of Wish Town Police Station sector 126 Noida , district Gautam Buddha Nagar visited the site in question and found gross public nuisance, domestic effluent , effluent overflow through manholes, huge dust in the air in the proximity of the area , etc. it is submitted that this Sub Inspector/chowki In charge prepared a report U/S 133 of CrPC 1973 and also made an entry in the general diary no. 26 dated 27.05.2024 in police station sector 126 ,Noida district Gautam Buddha Nagar and submitted this report in the Court of Additional Police Commissioner, Commissionerate , Gautam Buddha Nagar for necessary further action.(**ANNEXURE 1** True copy of letter along with police report U/S 133 of CrPC and photographs).

3

5. That the report is being filed for the kind consideration of this Hon'ble Tribunal for further orders.

Praveen
27/5/24

PRAVEEN KUMAR SINGH

(प्रवीण कुमार सिंह)

ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE I,

सहायक पुलिस आयुक्त प्रथम

नोएडा गौतमबुद्ध नगर

NOIDA, DISTRICT - GAUTAM BUDDHA NAGAR

ANNEXURE-1

4

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक : 510/एल-163/2023 दिनांक: 10.02.2023

पुलिस आयुक्त,
गौतमबुद्धनगर।

विषय- **मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0नं0-771/2022 निशान्त भार्गव बनाम उ0प्र0सरकार में पारित आदेश दिनांक 04.01.2023 के सम्बन्ध में।**

महोदया

कृपया, उपर्युक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0नं0-771/2022 निशान्त भार्गव बनाम उ0प्र0सरकार में पारित आदेश दिनांक 04.01.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** के अनुपालन मे जिला प्रशासन एवं उ0प्र0प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा किंगजिगटन पार्क-1, फेस-1, सेक्टर-133 जे0पी0विश टाउन का निरीक्षण किया गया। उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण आख्या दिनांक 10.02.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** से स्पष्ट है कि किंगजिगटन पार्क-1, फेस-1, सेक्टर-133 मे परियोजना प्रस्तावक/आई0आर0पी0 द्वारा सिविक सुविधाऐं प्रदान नही की जा रही है, जिससे Public Nuisance की स्थिति बनी हुई है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में जनपद गौतमबुद्धनगर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है तथा धारा-133 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही पुलिस विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पादित की जा सकती है। अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत अनुरोध है कि कृपया परियोजना प्रस्तावक मैसर्स जे0पी0 इन्फ्राटेक लिमिटेड, सैक्टर-128 नोएडा/आई0आर0पी0 के विरूद्ध Public Nuisance के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-133 मे प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस उपायुक्त-नोएडा को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :-उपरोक्तानुसार।

(सुहास एल0वाई0)
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

5

रिपोर्ट चालानी अतर्गत धारा 133 Cr.PC.थाना सैक्टर-126 नोएडा, कमिश्नरेट- गौतमबुद्धनगर

सेवा में

माननीय विशेष न्यायालय अपर पुलिस उपायुक्त महोदय,
कमिश्नरेट-गौतम बुद्ध नगर

विषयः- आवेदक श्री निशान्त भार्गव निवासी जे.पी. विश्टाउन सैक्टर-133 नोएडा गौतमबुद्धनगर अंतर्गत धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता कार्यवाही हेतु।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि प्रथम पक्ष के श्री निशान्त भार्गव पुत्र श्री जनार्दन शर्मा निवासी के.पी.-1, जे.पी. विश्टाउन, सैक्टर-133 नोएडा, गौतमबुद्धनगर द्वारा द्वितीय पक्ष के परियोजना प्रस्तावक मैसर्स जे.पी. इन्फ्राटेक लिमिटेड सैक्टर-128 नोएडा / आई.आर.पी. के विरूद्ध निर्माण कार्य में बरती जा रही अनियमित्ताओं के कारण PUBLIC NUISANCE के सम्बन्ध में शिकायत की गई थी। उपरोक्त शिकायत के सम्बन्ध में मुझ उ0नि0 द्वारा मौके पर जाकर जाँच की गई तो पाया कि परियोजना प्रस्तावक मैसर्स जे.पी. इन्फ्राटेक लिमिटेड सैक्टर-128 नोएडा / आई.आर.पी. द्वारा सैक्टर-133 नोएडा स्थित जे.पी. विश्टाउन में विकसित किये जा रहे आवासीय प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है जिसमें के.पी.-1 एच ब्लाक के सामने एस.टी.पी.-2 नाम से एक गंदे पानी को इक्ट्ठा किये जाने के लिये एक संयंत्र तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट के अनुसार इक्ट्ठा गंदा पानी को ट्रीटमेन्ट कर साफ पानी में परिवर्तित कर उपयोग हेतु किया जाना था परन्तु काफी लम्बे समय से इस संयंत्र में गंदा पानी इक्ट्ठा है। इनके द्वारा संयंत्र को पूर्ण कर प्रचलित नहीं किया गया है जिससे आस-पास रह रहे लोगों को गंदे पानी की दुर्गन्ध आदि का सामना कर पड रहा है। मेरे द्वारा कई बार मौखिक रूप में भी इनको संयंत्र की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में बताया गया परन्तु अभी तक द्वितीय पक्ष द्वारा संयंत्र को पूर्ण कर संचालित नहीं किया गया है। के.पी.-1 एच टावर, व एच ब्लाक के सामने खुले में भारी मात्रा में सडक पर मलबा डालकर सडके के एक तरफ मलबा डालकर आम आवागमन को अवरूद्ध/प्रभावित किया गया है तथा इक्ट्ठा मलबे के कारण काफी धूल उडने के समस्या भी आस-पास के रह रहे लोगों को सामना कर पड रहा है। इसके अलावा 3. एम-ब्लाक के सामने एम-ब्लाक कमर्शियल बैल्ट के सामने ड्रेन पंप स्टेशन बन रहा है जिसके कार्य को इनके द्वारा काफी धीमी गति से किया जा रहा है जिससे वह लम्बे समय से धूल मिट्टी का क्षेत्र बना हुआ है। आम-आवागमन अवरूद्ध हो रहा है एवं आस-पास के लोगों को मिट्टी धूल उडने से प्रदूषण का सामना कर पडा रहा है। 4.इसी प्रोजेक्ट के गेट नं0-07 लेबर कैंप के सामने सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर बाहर आकर सडक के गहरे स्थानों पर इक्ट्ठा हो रहा है जिससे आम आवागमन अवरूद्ध हो रहा है एवं लोगों को सीवर के पानी के प्रदूषण का सामना करना पड रहा है। मेरे द्वारा जांच के दौरान उपरोक्त चारों स्थानों के नक्शा नजरी तैयार किये गये जिनका विवरण क्रशृः-बिन्दु संख्या-1- के.पी-1 एच ब्लाक के सामने का नक्शा नजरी तैयार किया गया जिसमें गंदे पानी के इक्ट्ठा होने एस.टी.पी.-2 को A चिन्ह स्थान से दर्शाया गया है। इसके पास के पेट्रौल पम्प गेट, फार्म हाउस आदि को दर्शाया गया है। बिन्दु संख्या-2-के.पी.-1 एच टावर के सामने इक्ट्ठा किये गये मलबे के स्थान को A चिन्ह से दर्शाया गया है। इसके पास के भवन, सडक आदि को दर्शाया गया है। बिन्दु संख्या-3- एम ब्लाक कमिर्शियल बैल्ट के सामने ड्रेन पम्प स्टेशन से उतपन्न समस्या का नक्शा नजरी तैयार किया गया जिसमें X X चिन्ह से दर्शाया गया है। बिन्दु संख्या-4 इसी प्रोजेक्ट के गेट नं0-07 लेबर कैंप के सामने भारी मात्रा में सीवरों से ओवरफ्लो होने से सडक पर जगह-2 इकटठा पानी को X X चिन्ह से दर्शाया गया है। जांच के दौरान मुझ उपनिरीक्षक द्वारा मौके के फोटोग्राफ भी सुलभ अवलोकन हेतु संलग्न किए जा रहे हैं।

To
C.C.
Pravesh
ACP I

महोदय मुझ उपनिरीक्षक द्वारा की गई अब तक की जांच एवं जानकारी के अनुसार विपक्षी द्वारा सार्वजनिक रास्ते एवं सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण व धूल मिट्टी व गंदे पानी के इक्ट्ठा होने से प्रदूषण फैलाकर मूलभूत सुविधाओं से आम-लोगों को वंचित किया जा रहा है। ऐसे में द्वितीय पक्ष के परियोजना प्रस्तावक मैसर्स जे.पी. इन्फ्राटेक लिमिटेड सैक्टर-128 नोएडा /

6

आई.आर.पी. को उपरोक्त कृत्य के संबंध में नोटिस जारी करने की कृपा करे। महोदय द्वितीय पक्ष के परियोजना प्रस्तावक मैसर्स जे.पी. इन्फ्राटेक लिमिटेड सैक्टर-128 नोएडा / आई.आर.पी. के विरुद्ध अंतर्गत धारा 133 सीआरपीसी कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नः-

Sir.
Submitted pl.

(आलोक वर्मा) 27/08/24
उ0नि0/चौकी प्रभारी ग्रीनटाउन
थाना सैक्टर-126 नोएडा
कमिश्नरेट-गौतमबुद्धनगर

श्रीमान जी,
अग्रसारित है, 27/8/24

प्रभारी निरीक्षक
थाना, सै0-126 नोएडा
गौतमबुद्धनगर

(i) रिपोर्ट-चालानी - 02 वर्क
(ii) GD - 01 वर्क
(iii) नक्शा-नजरी - 04 वर्क
(iv) फोटो की छायाप्रति - 20 वर्क

7

General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश
P.S. (थाना): सेक्टर-126
District (जिला): कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 026
2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 27/05/2024 14:27 बजे
3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): आगमन/वापसी
4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): अवर निरीक्षक
5. Case Type (प्रकरण के प्रकार) : प्रौढ़
6. Subject (विषय):
वापसी उ0नि0 बाद जांच व दाखिला 01 रिपोर्ट चालानी अतर्गत धारा 133 Cr.PC.
7. G.D. Brief
वापसी उ0नि0 बाद जांच व दाखिला 01 रिपोर्ट चालानी अतर्गत धारा 133 Cr.PC.

इस समय उ0नि0 आलोक कुमार वर्मा रवानाशुदा रफ्ता रपट रो0आम तारीखी इमरोजा से बाद जाँच, आवेदक श्री निशान्त भार्गव निवासी जे.पी.
विश्टाउन सैक्टर-133 नोएडा गौतमबुद्धनगर द्वारा द्वितीय पक्ष के परियोजना प्रस्तावक मैसर्स जे.पी. इन्फ्राटेक लिमिटेड सैक्टर-128 नोएडा / आई.आर.
पी. के विरूद्ध निर्माण कार्य में बरती जा रही अनियमितताओं के कारण PUBLIC NUISANCE के सम्बन्ध में दी शिकायत व पूर्व में माननीय NGT
द्वारा संबंधित प्रकरण मे दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में मय 01 रिपोर्ट चालानी अतर्गत धारा 133 Cr.PC. बनाम परियोजना प्रस्तावक मैसर्स
जे.पी. इन्फ्राटेक लिमिटेड सैक्टर-128 नोएडा / आई.आर.पी के वापस थाना आये तथा तहरीर कराया कि अब तक की जाच एवं जानकारी के अनुसार
बिन्दु संख्या-1- के.पी-1 एच ब्लाक के सामने, बिन्दु संख्या-2-के.पी.-1 एच टावर के सामने , बिन्दु संख्या-3- एम ब्लाक कमिर्शियल बैल्ट के सामने व
बिन्दु संख्या-4 इसी प्रोजेक्ट के गेट नं0-07 लेवर कैंप के सामने, विपक्षी परियोजना प्रस्तावक मैसर्स जे.पी. इन्फ्राटेक लिमिटेड सैक्टर-128 नोएडा /
आई.आर.पी. द्वारा सार्वजनिक रास्ते एव सार्वजनिक स्थानो पर अतिक्रमण व धूल मिट्टी व गंदे पानी के इक्ट्ठा होने से प्रदूषण फैलाकर मूलभूत सुविधाओं
से आम-लोगों को वंचित किया जा रहा है। उक्त के संबंध में माननीय एनजीटी द्वारा भी पूर्व विपक्षी के विरूद्ध धारा 133 सीआरपीसी की कार्यवाही किये
जाने के आदेश निर्गत किये गये थे। अतः मुझ उ0नि0 द्वारा विपक्षी परियोजना प्रस्तावक मैसर्स जे.पी. इन्फ्राटेक लिमिटेड सैक्टर-128 नोएडा / आई.
आर.पी के विरूद्ध धारा 133 सीआरपीसी की कार्यवाही की गई है। रिपोर्ट चालानी माननीय विशेष न्यायालय अपर पुलिस उपायुक महोदय कार्यालय
भिजवाई जा रही है। उ0नि0 को वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था , चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन , रोकथाम जुर्म जरायम व विवेचना मुकदमा मर्जुआत
आदि मे रवाना किया गया।

8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 27/05/2024
Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुदित):
Name (नाम): PRAMOD KUMAR SINGH
Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):
Name (नाम): PRAMOD KUMAR SINGH
Rank (पद): I (Inspector)
No.(सं.):

नक्शा नजरी गेट नं० 7 लेबर कैम्प के सामने रास्ते का
Sec 133 J.P. wishtown

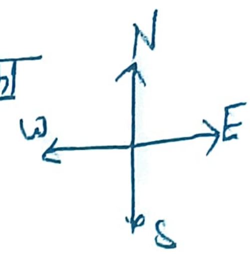

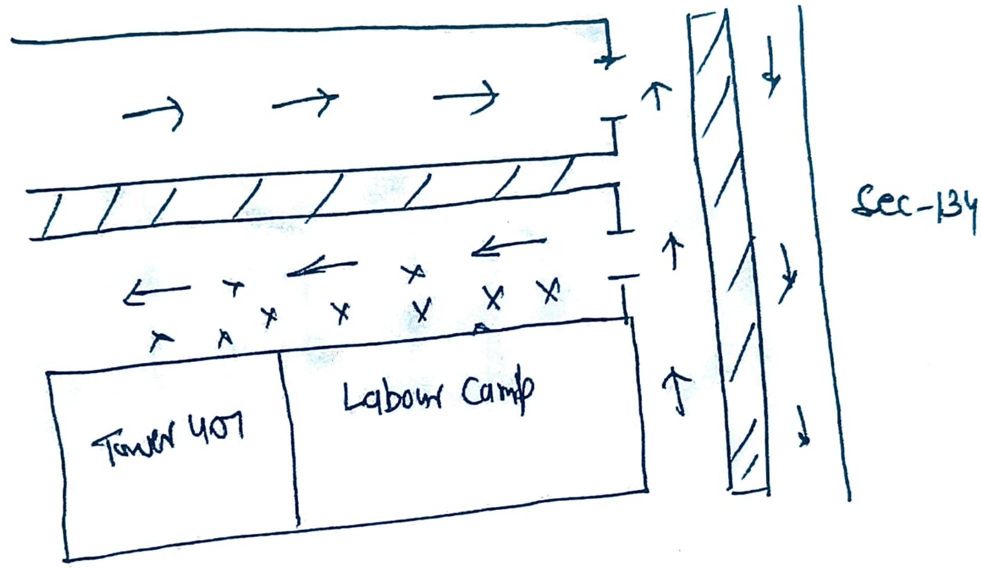

नोट:- गेट नं० 7 के पास लेबर कैम्प के सीवर ओवर फ्लो होने से गंदा पानी सड़क पर इकट्ठा होता।

Alok Kumar Verma
आलोक वर्मा
(उ०नि०)
थाना से०-126 नोएडा।

नक्शा नजरी KPH Tower व H Block के सामने का खाली स्थान

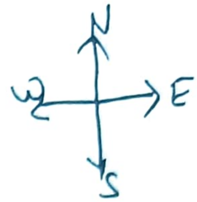

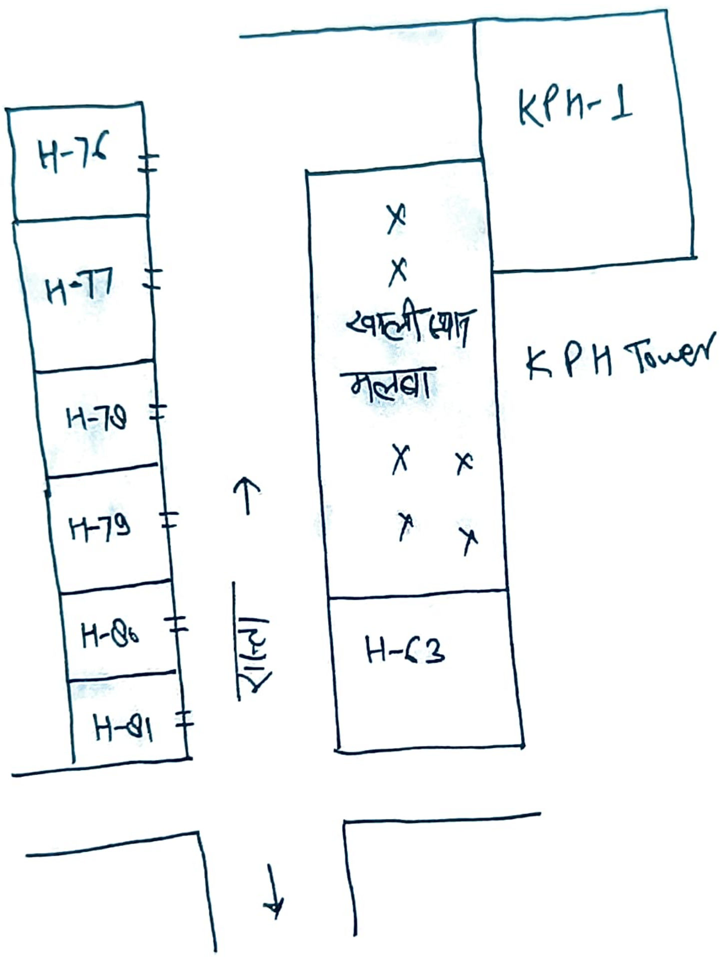

नोट- KPH Tower के सामने मलबा इकट्ठा किया गया है

आलोक वर्मा
(उ०नि०)
थाना फे०-2 नोएडा

नक्शा नजरी M Block commercial के सामने Drain Pump station

J.P. with town Sec 133

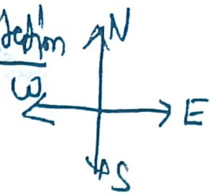

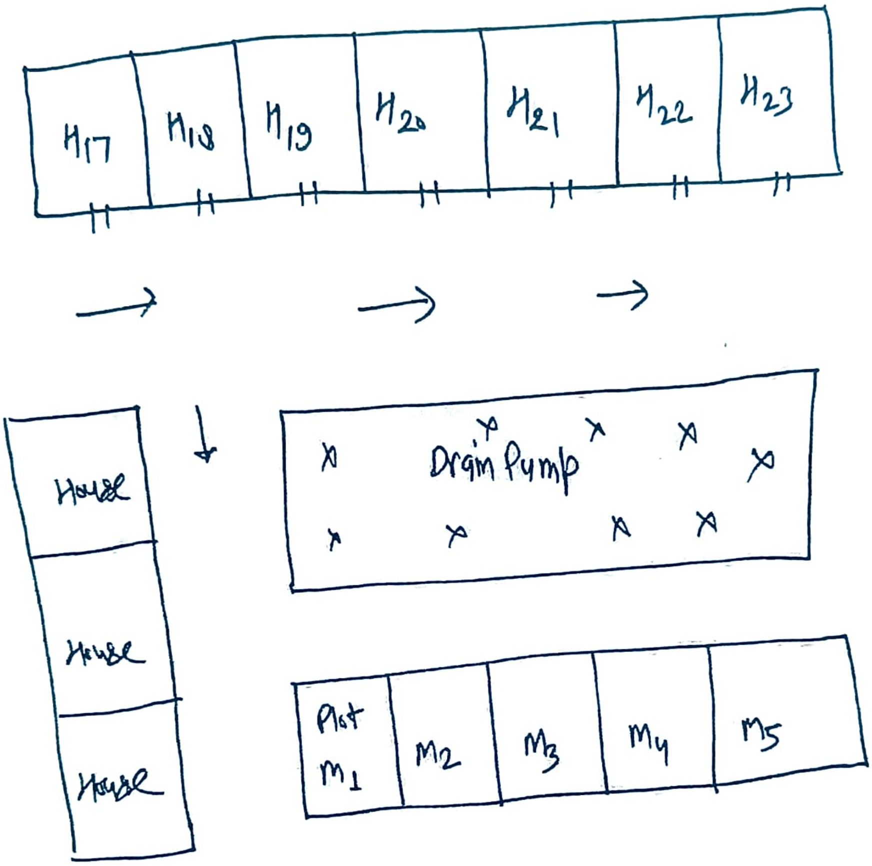

नोट :- M. Block commercial के सामने निर्माणाधीन Drain Pump station से धूल/मिट्टी इकट्ठा होने से |

आलोक कुमार
(आरक्षी)
थाना - से० 126 नोएडा
गौ० बु० नगर

नक्शा नजरी STP-2 J.P. wishtown Sec-133

Latt. 28.505128
Long. 77.365869

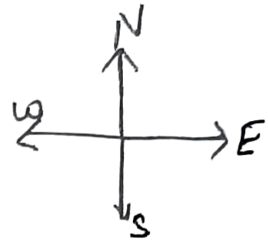

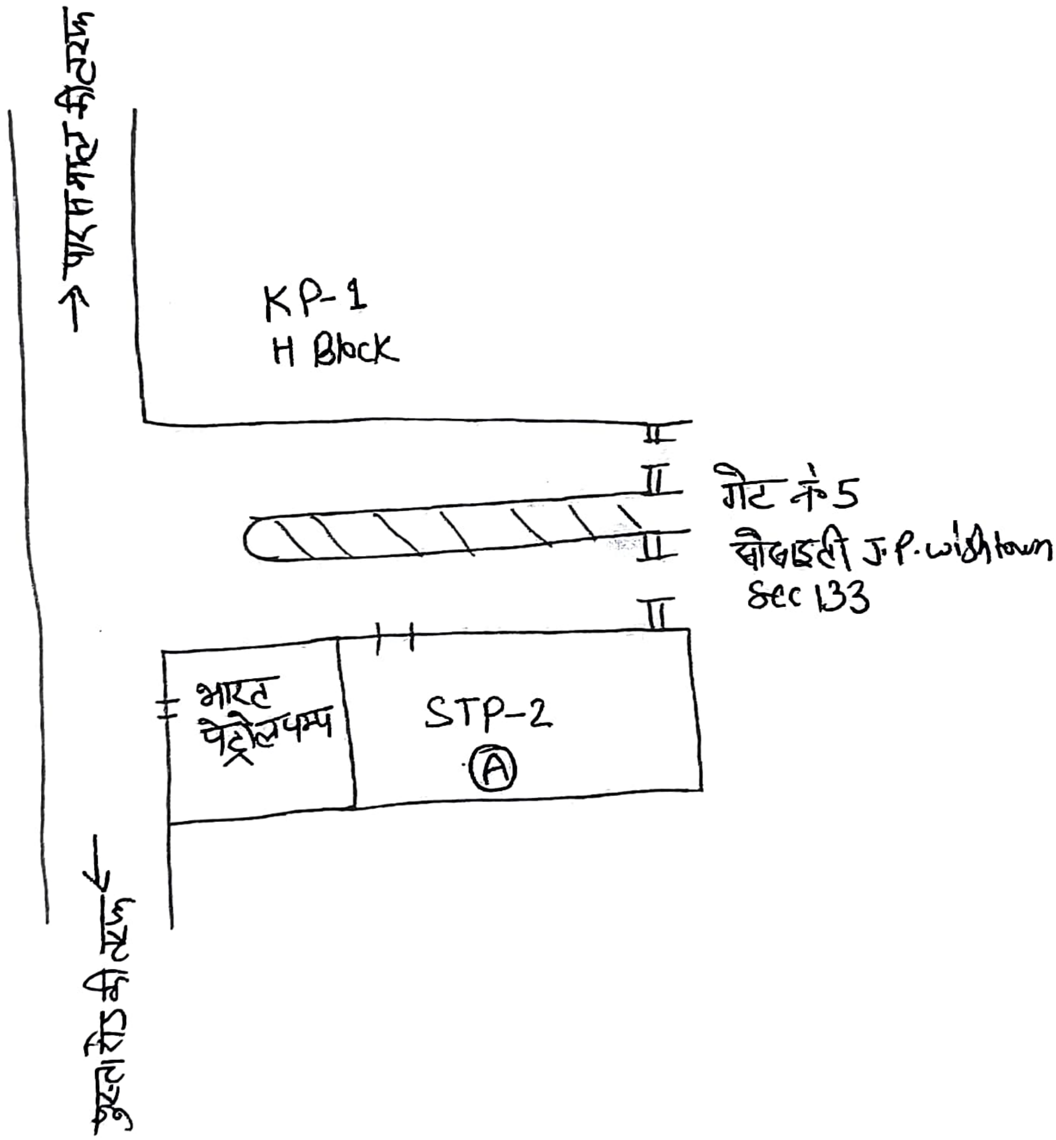

नोट:- गन्दे पानी के इकट्ठा करने के स्थान STP-2 को चिन्ह A से दर्शाया गया है जोकि कार्य नही कर रहा है।

आलोक वर्मा
(उ0नि0)
थाना सै0-126 कमि0
नोएडा

12

14
OnePlus

OnePlus

17

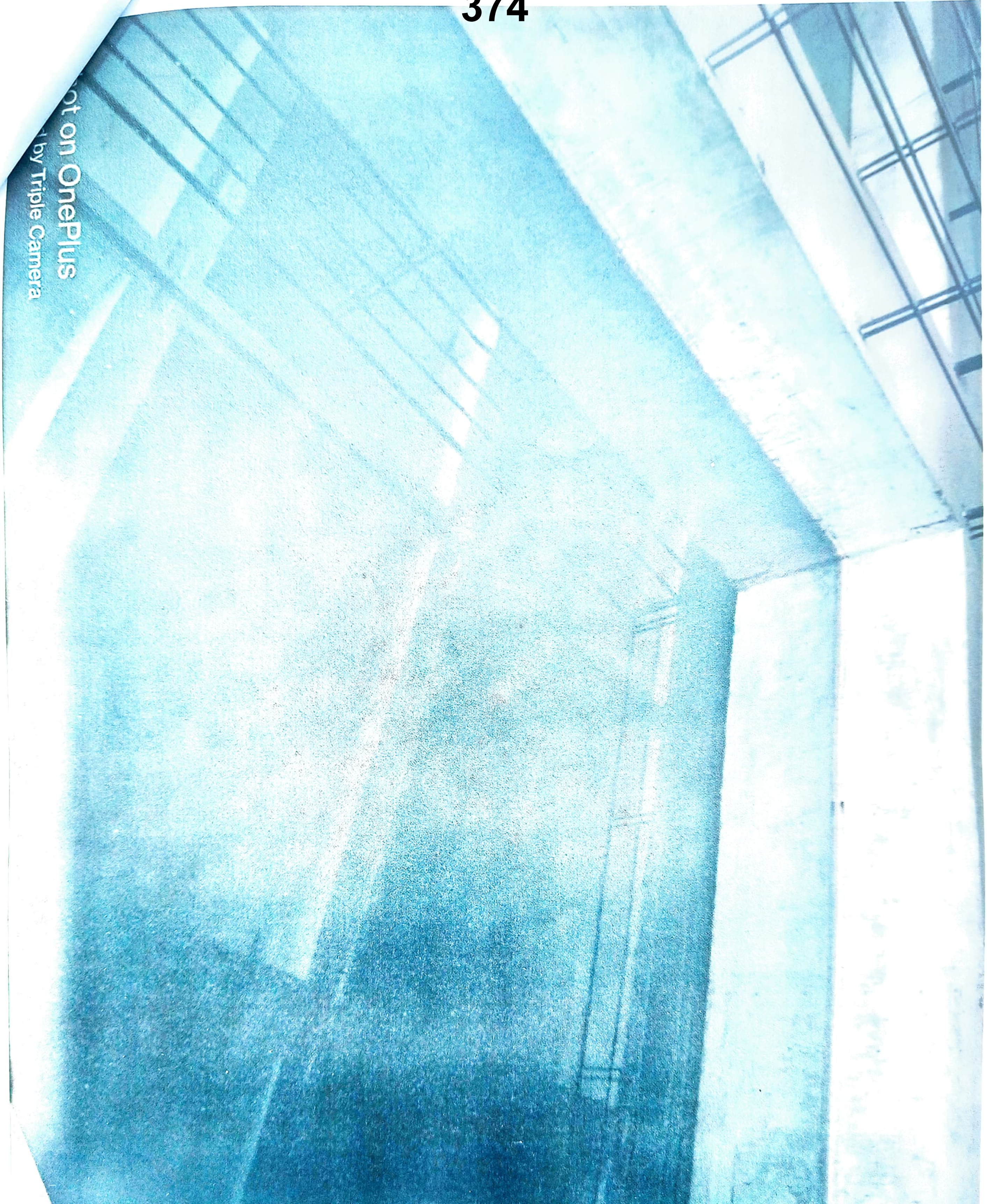
ot on OnePlus
by Triple Camera

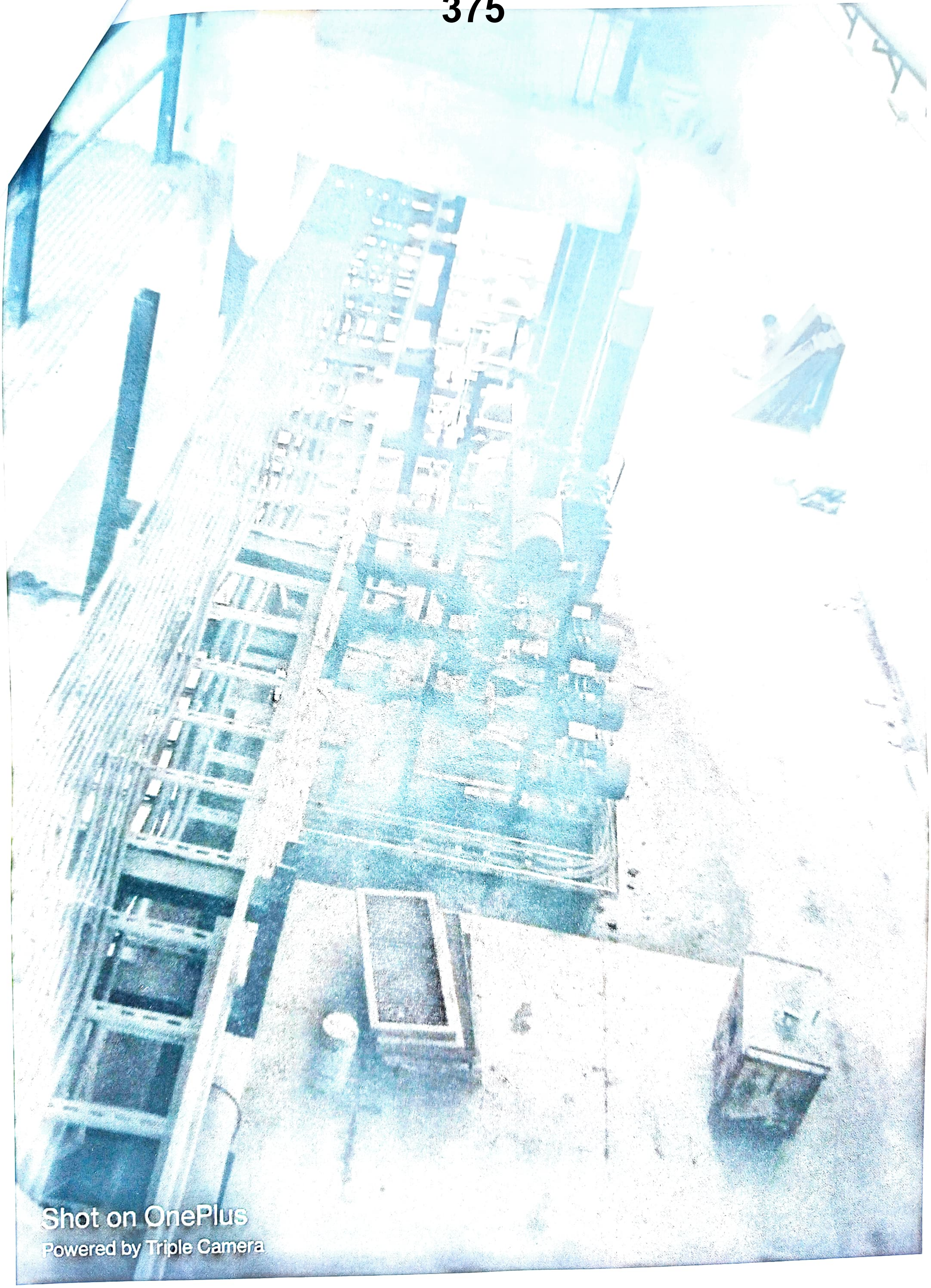
Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera

22

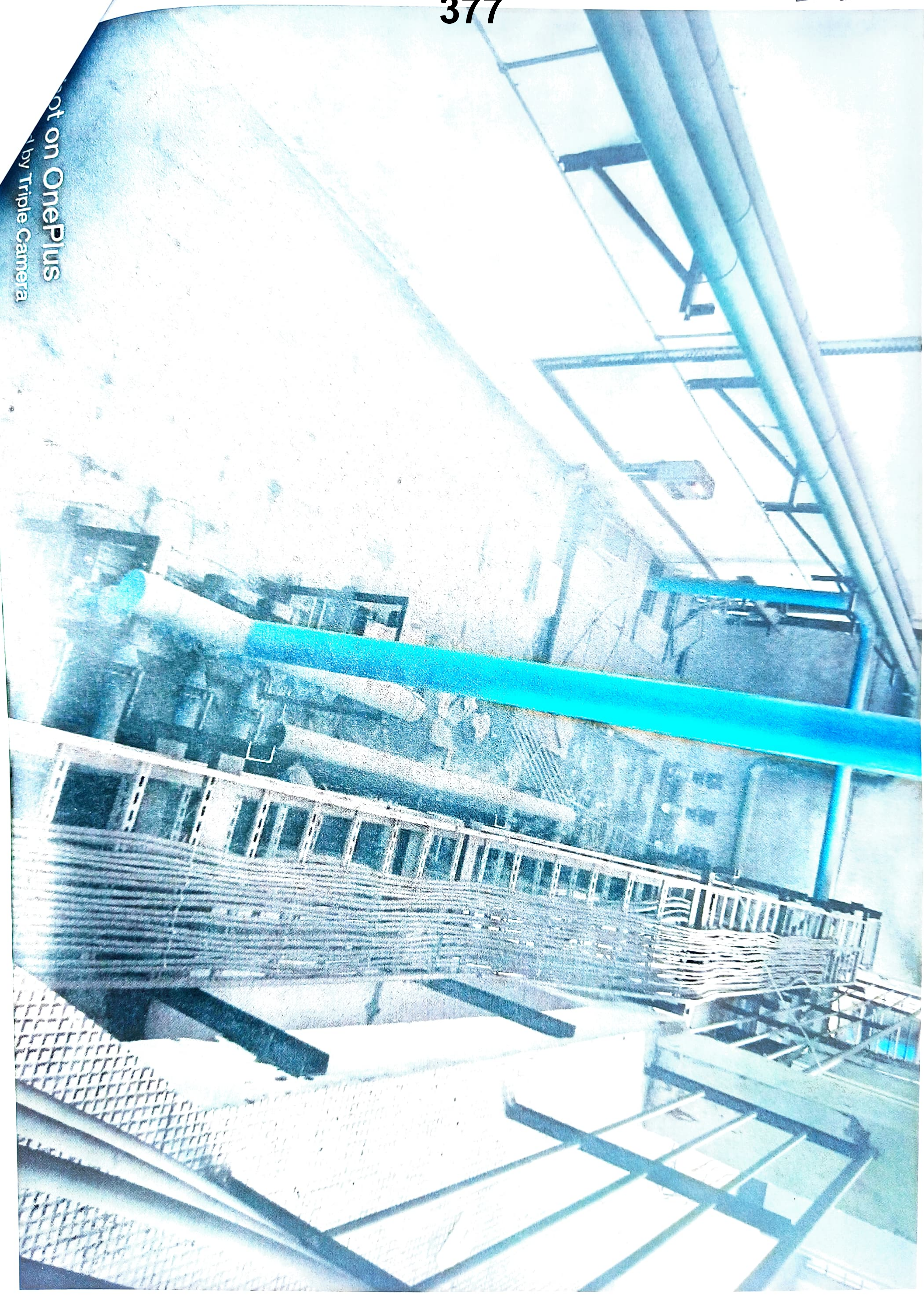

25